

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या- †*28
उत्तर देने की तारीख- 05/02/2024

पीएम जनमन

†*28. डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के अंतर्गत विद्युतीकरण हेतु लक्षित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) क्षेत्रों की पहचान करने के लिए उपयोग किए गए विशिष्ट मानदंडों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) प्रधानमंत्री जनमन के अंतर्गत तमिलनाडु में पहचान किए गए पीवीटीजी का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या इस पहल ने भारत के ऊर्जा क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधनों के अनुपात को बढ़ाने के इसके लक्ष्यों में योगदान दिया है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य मंत्री
(श्री अर्जुन मुंडा)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"पीएम जनमन" के संबंध में डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन द्वारा पूछे गये दिनांक 05.02.2024 को उत्तर के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या +*28 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (घ): प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन), अन्य बातों के साथ-साथ, मोबाइल एप्लिकेशन और विभाग आधारित सर्वेक्षण के माध्यम से विद्युतीकरण में अंतरों (गैप्स) को कैप्चर (एकत्रित) करने के आधार पर पीएम जनमन के तहत कवरेज के लिए पहचाने जाने वाले गैर-विद्युतीकृत पीवीटीजी घरों (आवासों) के विद्युतीकरण की परिकल्पना करता है। यह उपाय विद्युत मंत्रालय की नवस्वरूपित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा तैयार की गई नई सौर ऊर्जा योजना (पीवीटीजी आवास/गांवों के लिए) के माध्यम से किया जा रहा है।

एमएनआरई की योजना में गैर-विद्युतीकृत घरों के लिए ऑफ-ग्रिड विद्युतीकरण, सौर स्ट्रीट लाइटिंग और पीवीटीजी क्षेत्रों में सौर प्रकाश व्यवस्था का प्रावधान है जहां ग्रिड के माध्यम से बिजली की आपूर्ति की परिकल्पना नहीं की गई है। योजना के तहत कुल 515 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय प्रदान किया गया है। ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियों के माध्यम से घरों का विद्युतीकरण और पीएम जनमन के तहत एमपीसी/सौर स्ट्रीट लाइटिंग का सौर उर्जा-करण भारत के ऊर्जा पोर्टफोलियो में गैर-जीवाश्म ईंधन के अनुपात को बढ़ाने के लक्ष्य में योगदान करने की परिकल्पना करता है। राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, एमएनआरई ने अब तक नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रस्तावों को मंजूरी जारी कर दी है:

क्र.सं.	राज्य	डिस्कॉम	बस्तियों की संख्या	परिवारों (घरों) की संख्या
01	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश ईस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एपीईपीडीसीएल)	41	756
02	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल)	107	870
03	झारखंड	झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल)	114	1233
04	कर्नाटक	चामुंडेश्वरी विद्युत आपूर्ति निगम (सीईएससी)	12	179
05	तेलंगाना	तेलंगाना राज्य उत्तरी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (टीएसएसपीडीसीएल)	11	90
		तेलंगाना राज्य दक्षिणी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (टीएसएसपीडीसीएल)	12	236
06	त्रिपुरा	त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (टीएसईसीएल)	30	1703
	कुल		327	5067

पीएम जनमन तमिलनाडु राज्य में पहचाने गए सभी छह पीवीटीजी जैसे इरुलर, कट्टुनायकन, कोटा, कुरुम्बा, पनियान और टोडा को कवर करता है।
